

संचिका संख्या.-12/प0क0(बजट)11-11/2017-

89(12)व

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
सूची संलग्न।

पटना, दिनांक 28/03/2018

विषय-

मुख्यशीर्ष-2211 परिवार कल्याण- केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत-उपमुख्य
शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-0205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा
शिक्षा में मानव संसाधन उपशीर्ष-के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए केन्द्रांश के
तहत कुल- 49390000/- (चार करोड़ तिरानबे लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र अतिरिक्त
आवंटन की स्वीकृति ।

महाशय,


उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत मांग सं0-20 विपत्र कोड सं0-20-
2211001010205 में वित्तीय वर्ष-2017-18 के लिए केन्द्रांश के तहत कुल- 49390000/- (चार करोड़
तिरानबे लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. संबंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक-17.04.98 एवं 159 वि0 (2) दिनांक-
20.03.09 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. यह आवंटन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में कार्यरत एल0एच0भी0/ ए0एन0एम0 के ही वेतनादि भुगतान हेतु
निर्गत किया जा रहा है।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त एवं कार्यरत कर्मचारियों
का ही वेतनादि का भुगतान करेंगे।
5. चालू वर्ष के वेतन भुगतान सुनिश्चित कर ही आवंटित राशि से बकाया भुगतान किया जाएगा।
सेवानिवृति एवं न्यायादेश के आलोक में यदि वेतनादि भुगतान का मामला लम्बित हो तो सर्वप्रथम
उपलब्ध आवंटन से भुगतान की कार्यवाई करेंगे। इकाई मदवार अद्यतन व्यय विवरणी के साथ
संभावित अतिरिक्त आवंटन का इकाई मदवार अधियाचना विहित प्रपत्र में किया जाय।
6. स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्रालय, भारत सरकार नई, दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र
संख्या-एम0-11018/1/2006-FWD दिनांक-20.04.2006 के निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष
2005-06 से स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के अधीनस्थ ऐच्छिक कार्य कर्ताओं का मासिक मानदेय, किराये पर
संचालित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का मकान भाड़ा, आकस्मिकताएं (कार्यालय व्यय) का भुगतान RCH
Flexible Pool से किया जाना है अतः इस हेतु प्रस्तुत आवंटन में राशि का प्रावधान नहीं किया
जा रहा है। इसका भुगतान राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से किया
जायेगा।
7. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपने-अपने जिलों के लिए प्राप्त आवंटन
से अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को आवश्यकता अनुसार राशि
का उप आवंटन अपने स्तर से करेंगे।
8. इस राशि का व्यय मुख्यशीर्ष-2211 परिवार कल्याण-केन्द्र प्रायोजित योजना-उपमुख्य
शीर्ष-00-लघु शीर्ष-101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं 0205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में
मानव संसाधन 20-2211001010205 उपशीर्ष के अन्तर्गत वहन होगा तथा चालू वित्तीय
वर्ष-2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

← 2/3/18

9. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्व की भांति प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार, पटना होंगे।
10. आवंटित राशि का जिला स्तर पर समेकित व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10 वी तारीख तक निश्चित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराना तथा महालेखाकार कार्यालय से व्यय एवं प्राप्ति आंकड़ों का त्रैमासिक मिलान अनिवार्य है।
11. निकासी-सह-व्ययन पदाधिकारी पत्र निर्गत होने के सात दिनों के अन्दर सभी कर्मियों के खाते में भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन


28/3/18

(सच्चिदानन्द चौधरी),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- 89 (12) व


स्वा0/पटना दिनांक 28/03/2018

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट, शाखा, बिहार पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-सभी संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-निदेशक प्रमुख/अपर निदेशक (प0क0)/प्रशाखा पदाधिकारी-12 लेखा शाखा एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28/3/18

सरकार के विशेष सचिव।

मुख्य शीर्ष-2211 परिवार कल्याण

लघु शीर्ष-101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं

उपशीर्ष-0205-स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन

विपत्र कोड- 20-2211001010205

अतिरिक्त आवंटन (केन्द्रांश)

वित्तीय वर्ष-2017-18

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जी०या०भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	वर्दी/ पोशाक	कार्यालय व्यय	विद्युत प्रभार	कुल योग-
1	पटना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	गया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	नालन्दा	1500000	5390000	0	0	0	0	6890000	0	0	0	0	6890000
4	जहानाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	अरवल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	औरंगाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	नवादा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	भोजपुर	2500000	2500000	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	5000000
9	बक्सर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	रोहतास	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	कैमूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	मुजफ्फरपुर	5000000	7500000	3000000	0	0	0	15500000	0	0	0	0	15500000
13	बैशाली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	सारण	2500000	2500000	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	5000000
16	सिवान	500000	1500000	0	0	0	0	2000000	0	0	0	0	2000000
17	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	पुण्ड्रिहार	2000000	2500000	0	0	0	0	4500000	0	0	0	0	4500000
19	पुण्ड्रिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	दरभंगा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	समस्तीपुर	2500000	2500000	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	5000000
22	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	बेगूसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मुंगेर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	लखीसराय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	जमुई	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

89 (12) 20
26-3-18

←

विपत्र कोड- 20-2211001010205

आवंटन (केन्द्रांश)

वित्तीय वर्ष-2017-18

व्यय सारांश

क्रमांक	इकाई व्यय	इकाई व्यय	बजट उपबंध	प्रथम अनुपूरक द्वितीय अनुपूरक तृतीय अनुपूरक अन्य स्रोत द्वारा उपबंधित राशि	प्रत्यार्पण के उपरान्त उपलब्ध राशि	पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि	कुल बजट उपबंध (कडिका-04+ कडिका-05)	पूर्व का आवंटन	वर्तमान में आवंटन हेतु उपलब्ध राशि (प्रत्यर्पित राशि + पुनर्विनियोग द्वारा प्राप्त राशि+पूर्व का शेष उपबंध)	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि (कडिका-07+ कडिका-08)	शेष उपबंध (कडिका-06 - कडिका-09)
1	2	3	4	5			6	7		8	9	10
1	01 01	वेतन	90000000	1077658000	9500000	7500000	1167658000	1167658000	17000000	17000000	1184658000	0
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	100000000	1345116000	21140000	8250000	1445116000	1445116000	29390000	29390000	1474506000	0
3	01 04	मकान किराया भत्ता	45000000	93665000	370000	3250000	138665000	138665000	3620000	300000		0
4	01 05	परिवहन भत्ता	2300000	3246000	25000	0	5546000	5546000	25000	0	141665000	620000
5	01 06	चिकित्सा भत्ता	2000000	4378000	60000	0	6378000	6378000	60000	0	546000	25000
6	01 07	अन्य भत्ता	1500000	2937000	140000	0	4437000	4437000	140000	0	6378000	60000
		योग वेतन एवं भत्ते	240800000	2527000000	31235000	1900000	2767800000	2767800000	50235000	49390000	2817190000	845000
7	06 01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	500000	0	30000	0	500000	500000	30000	0	500000	30000
8	13 01	कार्यालय व्यय	1700000	0	10000	0	1700000	1700000	10000	0	1700000	10000
9	13 04	विद्युत प्रभार	3500000	0	0	0	3500000	3500000	0	0	3500000	0
10	13 06	वर्दी पोशाक	2500000	6600000	130000	0	9100000	9100000	130000	0	9100000	130000
28 01		व्यावसायिक विशेष सेवाएं	1000000	0	0	0	1000000	0	1000000	0	0	0
11		कुल योग	250000000	2533600000	31405000	19000000	2783600000	2782600000	51405000	49390000	2831990000	2015000

कुल योग- 49390000 (चार करोड़ तिरानबे लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र

85 (12)th
28-3-18

← 28/3/18

सरकार के विशेष सचिव